मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 25/112/99/पी.डबल्यू.सी./चार भोपाल, दिनांक 5.8.2000

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषय:- मृत शासकीय सेवकों की विधवाओं को परिवार पेंशन की पात्रता के संबंध में।

संदर्भ:- इस विभाग का ज्ञाप क्र. एफ-बी-6-7-87-नि-2/चार, दिनांक 30.8.89

उपर्युक्त विषय में महालेखाकार कार्यालय ने शासन के ध्यान में बात लाई है कि, यदि कोई शासकीय सेवक अपनी प्रथम पत्नी के जीवन काल में ही दूसरा विवाह संपन्न कर लेता है तो दिनांक 18.5.55 या उसके पश्चात ऐसा विवाह विधि सम्मत नहीं होगा और दूसरी पत्नी नियमानुसार परिवार पेंशन की पात्र नहीं होगी, फिर भी कई विभागध्यक्ष इस प्रकृति के प्रकरण अनुशंसा कर महालेखाकार/संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन कार्यालयों को निराकरण हेतु भेज रहे हैं।

2 इस संबंध में म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का नियम 22 निम्नानुसार है:-

22. "विवाह (1) कोई भी शासकीय सेवक, जिसकी पत्नी जीवित हो, शासन की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना दूसरा विवाह नहीं करेगा, भले ही ऐसा पश्चातवर्ती विवाह तत्समय उसको लागू होने वाली वैयक्तिक विधि के अधीन अनुज्ञेय हो।

3 आचरण नियमों के अंतर्गत भी कोई भी शासकीय सेवक अपनी प्रथम पत्नी के जीनकाल में ही दूसरा विवाह करेगा तो दूसरा विवाह विधि सम्मत नही है। अत: केवल एक ही विधि सम्मत पत्नी को परिवार पेंशन की पात्रता है।

4 अत: इस संबंध में अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ समस्त आहरण/संवितरण अधिकारियों को निर्देश दें कि ऐसे प्रकरण जिनमें दो पत्नियों को परिवार पेंशन देने से संबंधित हैं, में केवल एक ही विधि सम्मत पत्नी का प्रकरण महालेखाकार/संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन की ओर भेजें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
(अशोक दास)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग